भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4002
दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ

ग्राम पंचायतों का परिसीमन

4002. श्री राहुल कस्वां:

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या आगामी पंचायती राज चुनावों के लिए ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन एवं परिसीमन सरकार के विचाराधीन है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन एवं परिसीमन से संबधित शिकायतें/आपत्तियां ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को भेजी गई हैं/भेजी जा रही है;
(घ) यदि हां, तो निष्पक्षता एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार के कामकाज के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या लोगों से प्राप्त आपत्तियों/शिकायतों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार निपटान नहीं किया जा रहा है; और
(च) यदि हां, तो राजस्थान सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्यमंत्री

(प्रो0 एस0 पी0 सिंह बघेल)

(क) से (च) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 243ग(1) राज्य के विधान मंडल को पंचायतों की संरचना के संबंध में उपबंध बनाने का अधिकार देता है परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243ङ (1) में हर पांच साल में पंचायतों के लिए चुनाव कराने का प्रावधान है। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले, जिनमें पंचायतों के चुनाव कराना, ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन और परिसीमन, शिकायतों या आपत्तियों के निपटान के लिए मानदंड और प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना भी शामिल है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

राजस्थान राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों के पुनर्गठन एवं परिसीमन में प्रस्तावों और आपत्तियों के लिए नोटिस प्रकाशित करने और इस संबंध में प्राप्त

आपत्तियों/शिकायतों पर विचार/निपटान करने के लिए जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया है। संबंधित जिला कलेक्टर अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को अंतिम प्रस्ताव भेजते हैं।

राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि जिला कलेक्टरों द्वारा भेजी गई सिफारिशों की समीक्षा के लिए पांच सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया है। प्राप्त सिफारिशों की समीक्षा के बाद, कैबिनेट उप-समिति माननीय मुख्यमंत्री को अंतिम प्रस्ताव प्रस्तुत करती है।

****